



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

16 पौष 1942 (श०)
(सं० पटना 25) पटना बुधवार 6 जनवरी 2021

सं० 27/आरोप-01-84/2019/12681/सा0प्र0
सामान्य प्रशासन विभाग

संकल्प

29 दिसम्बर 2020

श्री ओम प्रकाश प्रसाद, बि०प्र०से०, कोटि क्रमांक 499/2011, तत्कालीन अपर समाहर्ता, बेगूसराय सम्प्रति निलंबित के विरुद्ध आयुक्त, मुंगेर प्रमंडल, मुंगेर के पत्रांक-4918 दिनांक-07.09.2018 द्वारा आरोप पत्र भेजते हुए अनुशासनिक कार्रवाई की अनुशंसा की गयी।

श्री प्रसाद के विरुद्ध गैर जिम्मेदाराना एवं अनुशासनहीनता का कार्य करने, गणतंत्र दिवस के अवसर पर झंडातोहन नहीं करने, आन्तरिक संसाधन का गलत प्रतिवेदन देने, विभागीय जांच के कार्यों में अभिरुचि नहीं लेने, आदेश निर्गमन एवं निस्तारण में विलम्ब करने, राजस्व विभाग के कार्यों का पर्यवेक्षण करने में अक्षम रहने, श्री विजय प्रसाद वर्मा से 2,50,000/-रु० नगद ठगने तथा लगभग 70,000/-रु० का विभिन्न प्रकार का सामान लेने एवं रुपये मांगने पर गाली-गलौज करने, संचिकाओं के उपस्थापन में विलंब करने, मा० मंत्री, आपदा प्रबंधन विभाग की अध्यक्षता में आहूत बैठक में अनुपस्थित रहने, संचिकाओं के उपस्थापन में विलंब करने तथा श्री नन्दकिशोर पंडित, लिपिक, सदर अस्पताल, बेगूसराय की जाली नियुक्ति के संबंध में गलत तथ्यों को उपस्थापित करने का आरोप प्रतिवेदित है।

2. श्री प्रसाद के विरुद्ध आयुक्त, मुंगेर प्रमंडल, मुंगेर से प्राप्त आरोप पत्र के आधार पर विभागीय स्तर पर आरोप पत्र गठित कर अनुशासनिक प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त किया गया। तत्पश्चात विभागीय पत्रांक-16368 दिनांक-14.12.2018 द्वारा श्री प्रसाद से स्पष्टीकरण की मांग की गयी। श्री प्रसाद द्वारा स्पष्टीकरण समर्पित किया गया जिसमें स्वयं के ऊपर लगे आरोपों से इंकार किया गया है।

3. आयुक्त, मुंगेर प्रमंडल, मुंगेर द्वारा प्रतिवेदित आरोप एवं श्री प्रसाद द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण की सम्यक समीक्षा अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा की गयी एवं समीक्षोपरांत श्री प्रसाद के स्पष्टीकरण को स्वीकार योग्य नहीं पाते हुए इनके स्पष्टीकरण को अस्वीकृत किया गया। इस मामले की विस्तृत जांच हेतु बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2005 के नियम-17(2) के प्रावधानों के तहत श्री प्रसाद के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही संचालित करने का निर्णय लिया गया है।

4. श्री प्रसाद के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही संचालित करने हेतु आयुक्त, मुंगेर प्रमंडल, मुंगेर को संचालन पदाधिकारी नियुक्त किया जाता है। उपस्थापन/प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी जिला पदाधिकारी, बेगूसराय द्वारा नामित कोई वरीय पदाधिकारी होंगे।

5. श्री प्रसाद से यह अपेक्षा की जाती है कि वे अपने बचाव के संबंध में अपना पक्ष रखने हेतु संचालन पदाधिकारी की अनुमति के अनुसार उनके समक्ष स्वयं उपस्थित होंगे।

आदेश:— आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति बिहार राजपत्र के अगले असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय तथा इसकी प्रति सभी संबंधित को भेज दी जाय।

बिहार—राज्यपाल के आदेश से,
राम शंकर,
सरकार के संयुक्त सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 25-571+10-डी0टी0पी0
Website: <http://egazette.bih.nic.in>